International Journal of Applied Research 2017; 3(11): 481-482

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2017; 3(11): 481-482
www.allresearchjournal.com
Received: 12-09-2017
Accepted: 19-10-2017

Dr. Sunita Kumari
Assistant Professor, Department of AI & As, Ancient History, Sanjay Singh Yadav College Gaya, Bihar, India

Corresponding Author:
Dr. Sunita Kumari
Assistant Professor, Department of AI & As, Ancient History, Sanjay Singh Yadav College Gaya, Bihar, India

बौद्ध धर्म का राजनैतिक विश्लेषण

Dr. Sunita Kumari

प्रस्तावना:

महात्मा बुद्ध के समय में दो प्रकार की राजनैतिक विचारधाराएँ प्रचलित थी, एक गणतंत्रात्मक और दूसरी राजतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक विचारधारा के अनुसार राज्य का शासन गण या समूह करता है और दूसरी विचारधारा राजतंत्रात्मक में एक व्यक्ति राज्य का स्वामी होता है और राज्य की अंतिम शक्ति उसी के साथ में होती है। महात्मा बुद्ध के पिता शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। बुद्ध के बचपन से ही गणराज्यीय संस्कार प्राप्त हुये थे। दूसरे बुद्ध मानवतावादी थी, वह राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का विकास चाहते थे और राज्य के विकास में प्रत्येक प्रतिभावान व्यक्ति का योगदान भी चाहते थे। वंश परम्परा से हस्तांतरित होने वाली राजतंत्रात्मक व्यवस्था में यह संभव नही था। वहाँ सदैव राजा प्रजा का भेद होता है। योग्य से योग्य राजा नही बन सकता है और अयोग्य से अयोग्य राजकुमार राज्य का उत्तराधिकारी होता है। अपने बचपन के संस्कार और मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण बुद्ध को सदैव गणतंत्रात्मक व्यवस्था पंसद थी। इसलिए संघ में उन्होने गणतंत्रात्मक नियम लागू किये थे। ''वे संघ में आर्थिक साम्यवाद को प्रचलित करना चाहते थे और भिक्षु–भिक्षुणियों के लिए वैसे नियम भी बनाये थे जिसके अनुसार शरीर पर कपड़े, उस्तरा, सुई, जलपात्र जैसी तीन–चार वस्तुए पुदगालिक (वैयक्तिक) हो सकती थी बाकी सारी सम्पत्ति संघ की मानी जाती थी।''

वैशाली के वज्जि संघ की न्याय प्रणाली की वे बहुत अधिक प्रशंसा करते थे। एक अदृकथा से ज्ञात हाता है कि पुराने वज्जि धर्म में किसी मामले का फैसला बहुत खोजबीन के बाद होता था बज्जि राजा के यहाँ कोई अपराधी आता है, तो उसे पहले वह दण्ड न देकर विश्चिय महामात्य (न्यायाधीश) को देते थे। वह विचार कर अपराध सिद्ध न होने पर छोड़ता है और अपराध सिद्ध होने पर विचारार्थ अव्यवहारिक को देता। वह भी अपराधी न होने पर छोड़ देता और अपराधी होने पर 'सूत्रधार' को देता। इसी प्रकार अपराध की प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए सूत्रधार सेनापति, उपराज और उपराज राजा को देता और राजा भी विचार करता, अपराधी न होने पर छोड़ देता तथा अपराधी प्रमाणित होने पर प्रवेणी–पुस्तक (कानूनी पुस्तक) वचवाता और पुस्तक में इस प्रकार अपराध करने पर जो दण्ड विधान होता' उसके अनुसार दण्ड देता। न्याय–प्रक्रिया को इतने स्तर से गुजरने के बाद किसी निपराध को सजा मिलने की कम संभावना रहती थी, जबकि राजतंत्र में उसे प्राण–दण्ड तक दिया जाता था। यह एक प्रकार से निरकुंशता की पराकाष्ठा थी और न्याय के नाम पर एक कलंक था। एक अपराधी न बचने पाये चाहे अने निपराधियों को सजा मिल जाय। यह न्याय की भूल भावना नहीं, न्याय की मूी भावना है अपराधी को सजा मिले और निरपराधी को सुरक्षा और न्याय। न्याय के इन्हीं मानवीय उद्देश्य के लिए महात्म बुद्ध गणतंत्रात्म्क न्याय व्यवस्था को स्वीकार करते थे।

एक बार आजाशत्रु का महामंत्री वर्षकार जब बुद्ध के पास जाकर अजेय बज्जियों के विनाश करने का उपाया पूछा तो बुद्ध को वर्षकार की बातें बहुत बुरी लगी, क्योकि बज्जि संघ उनका प्रिय आदर्श राज्य था। अपनी अरूचि प्रकट करते हुए बुद्ध ने आंनद को संबोधित करते हुए कहा – आनंद बज्जियो को तब तक कोई नहीं जीत सकता, जब तक वे निम्न सात बातों का पालन करते रहेगें।

1. राष्ट्र चालक संसद के लोग बार–बार बैठक कर कार्य का निर्णय करते रहेगें।
2. एक साथ मिलकर बैठक करेगें और अपने अपने कार्य में लगे रहेगें।
3. कानून का उल्लघंन नही करेगें।
4. बुजुर्गो का सम्मान करेगें उनकी बाते सुनेगें।
5. स्त्रियों पर जबरदस्ती नही करेगें
6. जब तक धर्म और धर्म या ग्रहण करने वालो को सम्मन करते रहेगें
7. सज्जन पुरूष की रक्षा करते रहेगें।

महात्म बुद्ध राजतंत्र की अपेक्षा गणतंत्र को जनकल्याणकारी राजनैतिक शासन प्रणाली मानते थे। ''वे राज्यो की आपत्ति किसी दैवीय स्त्रोत से नहीं, बल्कि उसका कारण वैयक्तिक सम्पत्ति है।

वैयक्कि सम्पति के कारण लोगों में विषता हुई, वह आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे की सम्पति को गुप्त या प्रकट रीति से देखने की कोशिश करने लगे, इसके लिए उन्होने एक अपना न्यायकर्ता बनाया और वह शक्ति संचय करते–करते राजा बन गया। अतः बुद्ध ने राजा को ईश्वर का रूप मानने से इन्कार किया। वे राजा के भी जनसमुदाय का एक एक हिस्सा मानते थे, जो राजनैतिक प्रशसन संचालन की कुशलता के कारण राजा के दायित्व को संभाले है। राजा को जनहित का कार्य करना चाहिए। अपने हित मात्र के लिए कार्य करने वाला राजा जनता का शोषण करता है और राजा में जनसेवा की भावना में गणतंत्रात्मक भावना अधिक संभव होती नही है।

बुद्ध राजनैतिकता व्यवस्था में आर्थिक–समानता के भी पक्षधर थे। अपने इसी सोच के कारण वे संघ में आठ अति आवश्यक वस्तुओं के अतिश्रियक्त व्यक्ति की सभी सम्पति संघ की होती थी। इसी कारण बुद्ध व्यक्ति को दान देने की अपेक्षा संघ को दान देने का श्रेष्ठ बताया था। इसी कारण अपनी मौसी गौतमी द्वारा तैयार किये गये चीवर को संघ का दान करने की सलाह बुद्ध ने दी। संन्यासियो द्वारा वैयक्तिक सम्पति के संचय से बचने के लिए बुद्ध भिक्षा पकाये गये भोजन के रूप में ग्रहण करने की व्यवस्था दी थी। संचय की प्रतृति से सम्पति के प्रति मोह उत्पन्न होता है और मोहन ही अनेक अनुचित और अमानवयी कार्या का कारण बनता है। बुद्ध की अपेक्षा राजनैतिक जीवन में भी मानव कल्याण के लिए सम्पत्ति के सामन वितरण किये थे भगवान बुद्ध का तिब्बत के साम्राट 'मुनि–युन पो– पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि नवी शताब्दी में तीन बार अपने शासन में धन का समान वितरण करवाया था। आधुनि काल में गाँधी के 'ट्रस्टीशिप' का सिद्धांत भगवान बुद्ध के इसी अपनी अति महत्वपूर्ण आवश्यकताओ से अतिरिक्त सम्पति को संघ की समझने क `सोच का ही जनसामान्य के सन्दभ्र मे विकसित रूप में है । 'ट्रस्टीशिप' में सम्पति के उत्पादन के साधनों की पवित्रता के साथ प्राप्त सम्पति की जो अपनी आवश्यकता से अधिक है, उसे जनसामन्य की भलाई में खर्च करने का विधान है। आर्थिक गैरबराबरी की समस जब देश और विश्व के समक्ष एक चुनौती बनकर खड़ी है जिसमें 'ट्रस्टीकिशप' का विचार अत्यधिक प्रासंगिक है, आर्थिक गैर बराबरी की समस्या मिटाने में वैशाली गणराज्य की अजेयता और सम्पन्नता का कारण बुद्ध उनकी लोकमत वाली व्यवस्था को बताते थे। इस व्यवस्था में बहुमत का अधिक सम्मान था। वे संघ के नियंत्रण और शासन मे किसी एक के हाथ में नहीं, बल्कि सम्पूर्ण संघ के अधिकार में रखे थे। संघ के सम्बन्ध मे कोई निर्णय लेने के लिए बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या आवश्यक थी। बहुमत और अल्पमत जानने के लिए मतगणना की व्यवस्था थी, बुद्ध प्रयोग होता था, जो हाँ या नही क लिए दो रंग की होती थी, जिन्हें लोग अपने मत के अनुसार प्रयोग करते थे, जिसे संघ सर्वेसर्वा (अध्यक्ष) गणना करके बहुमत और अल्पमत की घोषणा करता था।

बुद्ध की इस राजनैतिक विचारधारा और प्रणाली का प्रभाव कई राजाओं की शासन प्रणाली में न्यूनाधिक मात्रा में देखने को मिल जाता है, जिसमें मौर्य वंश और पाल वंश प्रमुख है। बुद्ध की राजनैतिक चेतना के प्रभाव में कई निम्न जातियों जो अपने को हीन और दलित समझती थी, वह भी जाग्रत होकर कई राज्यों के शासन की प्रमुख बनी थी। आधुनिक काल में डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने बुद्ध त्रिशरण को राजनैतिक और सामाजिक सन्दर्भ में व्याख्यायित किया। बुद्ध शरणं गचछामी, धम्म शरण गच्छामि और संघ शरण गचछामि, को शिखित बनो संगठित बनो और अपने अधिकारो के लिए संघर्ष करो के रूप में व्याख्यायित कर दलितों और शोषित में नयी में नयी राजनैतिक चेतना जागरण किया। अम्बेडकर के समय लाखो–करोड़ो दलितो ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया लगने लगा कि जो धर्म भारत से लगभग निष्कासित हो गया था उसकी पुनः वापसी हो गयी। भारती की आजादी के बाद सरकार ने बौद्ध धर्म कके महत्व को समझा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्राचारार्थ जो एशि के अधिकांश देश से सम्बन्ध स्थापित किया था, इसको ध्यान में रखकर और बौद्ध धर्म के पंचशील के सिद्धान्त की आधुनिक राजनैतिक सन्दर्भोमें नई व्याख्या के साथ भरत की सरकार ने पंचशील के अपने विदेश नीति का आधार बनाया और सारनाथ के अशोक स्तंभ से अपना राष्ट्रीय चिन्ह लिया। इस प्रकार राजनीतिक महात्मा बुद्ध के राजनैतिक विचारो से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काफी प्रभावित हुई है।

संदर्भ–ग्रंथ–सूची :

1. राहुल सांस्कृतातायन, महामानव बुद्ध पृ0 107
2. महा परिनिर्वाण सूत्र (दीर्घनिकासय 2–3)
3. राहुल संस्कृत्यायन महामानव बुद्ध पृ0 107